न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 30/2020 (2020/00159)

अनवान : –

1. गुड्डी देवी पत्नी राजपाल उर्फ राजेन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. पवन पुत्र राजपाल उर्फ राजेन्द्र जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. रमेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
3. नरेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 351/348 के खसरा नम्बर 586, 851, 863, 878 कुल खसरा 4 की कुल 10.154 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया गुड्डी के पति का नाम राजपाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थिया अपने पति का सही एवं वास्तविक नाम राजपाल के स्थान पर राजेन्द्र करवाना चाहती है।

प्रार्थिया अपने पति का उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया अपने पति का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्र की बजाये राजपाल दर्ज रहने से प्रार्थिया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थिया के पुत्र के आधार कार्ड एवं अपने पति का मृत्यु प्रमाण में भी प्रार्थिया के पति का नाम राजेन्द्र दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत शेरड़ा के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिया के पति का उपरोक्त जमाबन्दी में [illegible] बजाये राजपाल दर्ज रहने से प्रार्थिया के हितों पर विपरीत असर [illegible] कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती और उसका बेहतर उपयोग [illegible] नहीं कर सकती। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने पति का नाम राजपाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्र दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पति का नाम राजेन्द्र के स्थान पर राजपाल दर्ज होने से प्रार्थिया राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थिया के पति का नाम राजपाल दर्ज रहने से प्रार्थिया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थिया के रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 351/348 के खसरा नम्बर 586, 851, 863, 878 कुल खसरा 4 की कुल 10.154 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में पार्थिया के पति का नाम राजेन्द्र दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई व तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त रिपोर्ट में नाम संशोधन हेतु अनुशंषा भी की गई है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 351/348 के खसरा नम्बर 586, 851, 863, 878 कुल खसरा 4 की कुल 10.154 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया ने अपने पति का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थिया के पति का नाम विरास्तन ईन्तकाल दर्ज करते समय राजेन्द्र के स्थान पर राजपाल दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थिया ने आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश किये है जिनमें प्रार्थिया के पति का नाम राजेन्द्र अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 351/348 के खसरा नम्बर 586, 851, 863, 878 कुल खसरा 4 की कुल 10.154 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थिया के पति/पिता का नाम **''राजपाल के स्थान पर राजपाल उर्फ राजेन्द्र''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए गुड्डी पत्नी राजपाल ही प्रभावी माना जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थिया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)